भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 927

05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी अस्पतालों द्वारा चिकित्सा प्रभारों का अनिवार्य प्रदर्शन

† 927. श्री सु. वेंकटेशनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में निजी अस्पतालों द्वारा चिकित्सा प्रभारों के अनिवार्य प्रदर्शन का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है और इसकी कोई रिपोर्ट उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, इसलिए निजी अस्पतालों द्वारा चिकित्सा शुल्क के अनिवार्य प्रदर्शन पर ध्यान देने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

फिर भी, भारत सरकार ने नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम) को अधिनियमित किया है और मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियों से संबंधित सरकारी (सशस्त्र बलों को छोड़कर) और निजी नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए नैदानिक स्थापन (केंद्र सरकार) नियम, 2012 (सीई नियम) को अधिसूचित किया है। सीई अधिनियम के अनुसार, नैदानिक स्थापन द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की सेवा हेतु न्यूनतम मानकों की शर्तों को पूरा करना अपेक्षित है। सीई अधिनियम को 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (12 राज्यों, अर्थात, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और 7 संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी) द्वारा लागू किया गया है।

सीई नियमावली के नियम 9(i) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक नैदानिक स्थापन को स्थानीय भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा में भी विशिष्ट स्थान पर रोगियों के लाभ हेतु प्रदान की जाने वाली प्रत्येक सेवा और उपलब्ध सुविधाओं के लिए प्रभारित की जाने वाली दरों को प्रदर्शित करना होगा। 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के नाते, जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सीई अधिनियम को अपनाया है, वे मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चिकित्सा शुल्क प्रदर्शित करने के प्रावधान सहित सीई अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने/कार्यान्वित करने हेतु उत्तरदायी हैं। अधिनियम ने जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक पंजीकरण प्राधिकरण को इसके प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में जुर्माना लगाने सहित कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर अधिनियम में पंजीकरण रद्द करने का भी प्रावधान है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नैदानिक स्थापन, जिन्होंने सीई अधिनियम को नहीं अपनाया और लागू नहीं किया है, संबंधित राज्य अधिनियमों द्वारा पंजीकृत और विनियमित होते हैं।
